



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं0 पटना 1007) पटना, बृहस्पतिवार, 16 दिसम्बर 2021

नगरपालिका प्रशासन निदेशालय
(नगर विकास एवं आवास विभाग)

अधिसूचना

13 दिसम्बर 2021

सं० 10/न0प्र0नि0-19/2021-3592/न0प्र0नि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचना संख्या 986 दिनांक 03.03.2021 द्वारा नगर निगम बिहारशरीफ का क्षेत्र विस्तारित किया गया है।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 12 (8) के प्रावधानों के तहत क्षेत्र विस्तारित नगर निगम बिहारशरीफ का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत से छह माह की अवधि तक ही शेष रहने तथा उक्त अवधि के उपरान्त नगर निकाय के भंग हो जाने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 12 (9) के प्रावधानानुसार क्षेत्र विस्तारित नगर निगम बिहारशरीफ में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, नालन्दा को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम सेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1007-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>